दिनांक 17.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की स्पेशल डायरेक्टर आई0बी0 (सेवानिवृत्त) से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 17.06.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में श्री राजीव रंजन वर्मा आई0पी0एस0(सेवानिवृत्त) द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। श्री राजीव रंजन वर्मा द्वारा उ0प्र0 एवं केन्द्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा मुलाकात के दौरान प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया तथा पुलिस सेवा को जनोन्मुखी एवं दक्ष बनाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।

जनपद खीरी/थाना चन्दन चौकी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 17.06.2024 को थाना चन्दन चौकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुखदेव को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चन्दन चौकी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दन चौकी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुखदेव निवासी ग्राम चौफेरी थाना चन्दन चौकी जनपद खीरी।

जनपद पीलीभीत/थाना न्यूरिया

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 20 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर**
- **घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि बरामद**

दिनांक 16.06.2024 को थाना न्यूरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टनकपुर रोड भुजिया मजार तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—महेन्द्र 2—राहुल उर्फ भोला 3—रमेशचन्द्र 4—प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 20 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.05.2024 को थाना न्यूरिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बनधित है।

इस सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महेन्द्र निवासी वहददी वेला थाना घनश्यामपुर जनपद दरभंगा बिहार, हालपता बकरोला बिहार जनपद नजफगढ दिल्ली।

2—राहुल उर्फ भोला निवासी ग्राम महरेराह थाना महरेराह जनपद एटा, हालपता गली नं0—15 मंडोली थाना हर्ष बिहार जनपद बाहरी दिल्ली।

3—रमेशचन्द्र निवासी संजय एंक्लेव उत्तमनगर नई दिल्ली।

4—प्रवीण कुमार निवासी ग्राम जनार्धनपुर थाना कल्यानपुर जनपद समस्तीपुर बिहार, हालपता विनोदपुरी विजय एंक्लेव थाना डाबरी जनपद डाबरी दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 01 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर।

3—घटना में प्रयुक्त 01 वैगनार कार आदि।

<u>जनपद बिजनौर/थाना शेरकोट</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 65 हजार रूपये के सोने के आभूषण**
- **45 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 17.06.2024 को थाना शेरकोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त रिहान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 65 हजार रूपये के सोने के आभूषण, 45 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रिहान निवासी हर्षवाणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 03 लाख 65 हजार रूपये के सोने के आभूषण।

2–45 हजार रूपये नगद।

————